



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

आधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40]
 No. 40]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1, 1977/अश्विन 9, 1899
 NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1977/ASVINA 9, 1899

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (तब राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
 केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम
 जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the
 Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central
 Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

प्रधान मंत्री कार्यालय

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1977

(कार्यिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1977

सां०नि० 1284.—राजभाषा (संघ के भाषकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम 4 के अनुपालन में यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रधान मंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

[संख्या जी० एफ० 466/पी० एम० ए०/77]

श्रीम प्रकाश, प्रधान मंत्रीजी के निजी सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 9th September, 1977

G.S.R. 1284.—In pursuance of Sub-rule 4 of rule 10 of the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, it is hereby notified that the officers and members of staff in the Prime Minister's Office have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. G. E. 466/PMA/77]

OM PARKASH, Private Secy. to PM.

सां०नि० 1285.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सम्बद्ध राज्यों की सरकारों से परामर्श के पश्चात्, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियम, 1977 है।

(2) नियम 4 के खण्ड (i) तथा (iii) पहली जनवरी, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और इन नियमों के शेष उपबन्ध 12 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1977

सांक्रांति० 1312.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में धारा और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में पद संख्या 75 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के साथ नम संख्याएं और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7	8
76. मुख्य सुरक्षा गार्ड	6	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (अल्पिकवर्गीय)	225-5-280-6-290- ब० रो०-8-308 नया	अप्रवर्ण	25 से 40 वर्ष के बीच द्विपणी नियमों के कालम 7 में उल्लिखित आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अवमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन- पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। उन पदों के संबंध में जिनपर नियुक्ति रोज- गार कार्यालयों के मा- ध्यम से की जाती है, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, रोजगार कार्यालयों से नाम जिस अंतिम तारीख तक भेजने के लिए कहा जाता है, वह होगी।	(1) किसी माप्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से मैट्रिक परीक्षा पास। (2) खेलों, खेल/कूदों और व्यायामों में अपने जिले/राज्य का प्रतिनिधित्व करने का श्रेय। न्यूनतम शारीरिक माप : (1) लम्बाई 167.64 सेंटीमीटर छाती 81.28 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर फूलाने के साथ) (2) तजर (ग्रेनक के साथ या इसके बिना) दूर की दृष्टि एक घांख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9, पास की दृष्टि एक घांख में 0.8 और दूसरी घांख में 0.8, (3) उम्मीदवारों के टेड़े घुटने या बपटे पांव नहीं होने चाहिये। या सेना के ऐसे सेवानिवृत्त/मुक्त कार्मिक जिनके पास हवलदार (एजीक्यूटीव) का रैंक या नौसेना और वायु सेना में समकक्ष रैंक रहा हो।	

9	10	11	12	13	14
नहीं	80 वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 50 प्रतिशत आकाशवाणी महाविभाग के उन सुरक्षा गार्डों में से विभागीय पदोन्नति द्वारा जिनको उन्नत ग्रेड में 5 वर्ष को अर्हक सेवा हो।	जैसा कि कालम 11 में दिया गया है।	(1) उप निर्देशक (सुरक्षा) लागू नहीं होगा। (महाविभाग के प्रति- निधि के रूप में) — अध्यक्ष (2) सम्बन्धित केन्द्र के केन्द्र निदेशक—सदस्य (3) सम्बन्धित केन्द्र के केन्द्र इंजीनियर—सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8
77. सहायक मुख्या अधिकारी	1	समूह 'ग' अराजपक्षित अतिरिक्त वर्गीय	330-8-370-10- 400 ट. ० ० 10- 480 रूपये	प्रवरण	50 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पणी—1. वर्षों नियमों के कालम 7 में उल्लिखित धायु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अंशमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदनपत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। 2. उन पदों के संबंध में जिनपर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, धायु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में रोजगार कार्यालयों से नाम जिस अंतिम तारीख तक भेजने के लिए कहा जाता है, यह होगी।	सेना के ऐसे सेवा-निवृत्त/मुक्त कर्मिक जिनके पास सूबेदार (एजीक्यूटिव) का रैंक या नीचे का और वायु सेना में नमकन रैंक रहा हो।	
78. मुख्या अधिकारी ग्रेड-3	2	समूह 'ग' अराजपक्षित अतिरिक्त वर्गीय	380-12-520-दररो० 15-560 रूप०।	प्रवरण	50 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पणी—1. वर्षों नियमों के कालम 7 में उल्लिखित धायु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अंशमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदनपत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी। 2. उन पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, धायु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, रोजगार कार्यालयों से नाम जिस अंतिम तारीख तक भेजने के लिए कहा जाता है, यह होगी।	सेना के ऐसे सेवा-निवृत्त/मुक्त कर्मिक जिनके पास सूबेदार वा सूबेदार मेजर (एजीक्यूटिव) तथा सबै-रनिक लेफ्टिनेंट/कप्तान का रैंक तथा नौ सेना और वायु सेना में सम-कक्ष रैंक रहा हो।	
79. सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-2	2	समूह 'ग' अराजपक्षित अतिरिक्त वर्गीय	550-20-650-25- 750 रूप०	प्रवरण	लायू गार्डी होता	लायू गार्डी होता	

क	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	सोभी शर्ती द्वारा, इसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	(1) उन मुख्य सुरक्षागार्डों में से पदोन्नति जिसकी श्रेष्ठ में 5 वर्ष की शर्तक सेवा हो। (2) राज्य पुलिस या केन्द्रीय पुलिस दल के सहायक सब-इंसपेक्टर या डैट कॉन्स्टेबल के रैंक के ऐसे अधिकारियों, जिनकी श्रेष्ठ में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो, का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	(1) उप निदेशक (सुरक्षा) (महानिदेशक के प्रतिनिधि के रूप में) —प्रथम (2) संबंधित केन्द्र के केन्द्र निदेशक—सदस्य (3) संबंधित केन्द्र के केन्द्र इंजीनियर —सदस्य	नागू नहीं होता
नहीं	तीन वर्ष	सोभी शर्ती द्वारा, इसके न हो सकने पर पदोन्नति द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	(1) उन सहायक सुरक्षा अधिकारियों में से पदोन्नति जिनकी श्रेष्ठ में कम से कम 5 वर्ष की शर्तक सेवा हो। (2) राज्य या केन्द्रीय पुलिस संगठन के पुलिस सब-इंसपेक्टर या पुलिस सहायक सब-इंसपेक्टर के रैंक के उन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिनकी श्रेष्ठ में 5 वर्ष की सेवा हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	(1) निदेशक (सुरक्षा) (महानिदेशक के प्रतिनिधि के रूप में) —प्रथम (2) संबंधित केन्द्र के केन्द्र निदेशक—सदस्य (3) संबंधित केन्द्र के केन्द्र इंजीनियर—सदस्य	नागू नहीं होता।
नहीं	दो वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	(1) उन सुरक्षा अधिकारियों में से 3 में से विभागीय पदोन्नति जिनकी श्रेष्ठ में 8 वर्ष की सेवा हो। (2) पुलिस इंसपेक्टर या पुलिस सब-इंसपेक्टर के रैंक के उन अधिकारियों, जिनकी राज्य पुलिस या केन्द्रीय पुलिस संगठन 5 वर्ष की सेवा हो, में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	(1) निदेशक (सुरक्षा) (महानिदेशक के प्रतिनिधि के रूप में) —प्रथम (2) संबंधित केन्द्र के केन्द्र निदेशक—सदस्य (3) संबंधित केन्द्र के केन्द्र इंजीनियर—सदस्य	नागू नहीं होता

[संख्या 1/10/70-बी (ए)]

एन० एल० टण्डन, प्रवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th September, 1977

G.S.R.1312.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

- (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1977.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964 after serial No. 75 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, nameely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	Head Security Guard	6	Group 'C' Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308.	Non-Selection.	Between 25 & 40 years. Note.—The crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 of the recruitment rules will, in each case, be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lkshadweep). 2. In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential: (1) Matriculation of a recognised educational institution. District/State in games, (2) Credit of representing one's District/State in games, sports and athletics. Minimum physical Standards: (1) Height.....167.64 cms. Chest.....81.28 cms. (with an expansion of 5 cms). (2) Eye sight (with or without glasses). Distant vision...6/6 in one and 6/9 in the other eye; Near vision.....0.6 in one eye; and 0.8 in the other eye; (3) Candidates should not have knock knees or flat feet OR Retired/Released Army personnel who held the rank of Havildar (Executive) or holder of equivalent rank) in the Navy and Air Force.
9	10	11	12	13	14		
No.	Two years.	50% by direct recruitment 50% by departmental promotion from amongst the Security Guards on the strength of D.G. AIR, with 5 years, qualifying service in the grade.	same as in Column 11	(i) Dy. Director (Security) (as a representative of D.G.)—Chairman. (ii) Station Director of the station concerned —Member (iii) Station Engineer of the station concerned —Member	Not applicable.		

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	Assistant Security Officer	1	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs 330-8-370-10-400-EB-10-480.	Selection	Not exceeding 50 years. Note.—1. The crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 of the recruitment rules, will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). 2. In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Retired/Released Army personnel who held the rank of Naib Subedar (Executive) or equivalent rank in the Navy and Air Force.
9	10	11	12	13	14		
No	Two years.	Direct recruitment, failing which by promotion, failing both by deputation	(i) Promotion from amongst the Head Security Guards with 3 years' qualifying service in the grade. (ii) By transfer on deputation of officer of the rank of Assistant Sub-Inspector or Head Constable with not less than 5 years' service in the grade from the State Police or Central Police Force.	(i) Dy. Director (Security) as a representative of D.G.—Chairman. (ii) Station Director of the station concerned—Member (iii) Station Engineer of the station concerned—Member.	Not applicable.		

1	2	3	4	5	6	7
78. Security Officer Grade III	2	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 380-12-500-EB-15 560	Selection	Not exceeding 50 years. Note.—1. the crucial date for determining the age limit mentioned in column 7 of the recruitment rules will, in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). 2. In respect of posts, the appointment to which are made through the employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Retired/Released Army personnel who held the rank of Subedar or Subedar Major (Executive) including honorary Lieutenants/captains, and equivalent ranks in the Navy and Air Force.
79. Security Officer Grade II	2	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 550-20-650-25-750.	Selection	Not applicable.	Not applicable.
8	9	10	11	12	13	
No.	Two years.	Direct recruitment failing which by promotion, failing both by deputation.	(i) Departmental promotion from amongst the Assistant Security Officers, with not less than 5 years qualifying service in the grade. (ii) By transfer on deputation of officers of the rank of Sub-Inspectors of police or Asstt. Sub-Inspector of Police with 5 years' service in the grade from the State or Central Police Organisation. (The deputation period ordinarily not to exceed three years.)	(i) Director (Security) (as a representative of D.G.)—Chairman (ii) Station Director of station concerned—Member (iii) Station Engineer of the station concerned—Member	Not applicable.	
No.	Two years.	50% by promotion and 50% by transfer on deputation	(i) Departmental promotion from amongst Security Officers Grade III with 8 years service in the grade. (ii) By transfer on deputation of the officers of the rank of Inspector of police or Sub-Inspector of police with at least 3 years service in the state Police or Central Police Organisation. (The period of deputation ordinarily not to exceed 3 years).	(i) Director (Security) (as a representative of D.G.)—Chairman (ii) Station Director of the station concerned—Member. (iii) Station Engineer of the station concerned—Member.	Not applicable.	